न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(9)

श्रीमती विद्या द्विवेदी पत्नी श्री जी.पी.द्विवेदी निवासी ग्राम अगडाल तहसील हूजूर जिला रीवा म.प्र.

..........अपीलाण्ट

विरुद्ध अपील-7201-II-16

(1) शासन म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा

(2) मुस. नरवदिया बेवा पत्नी स्व कामता प्रसाद शुक्ला

(3) उमेश प्रसाद तनय स्व.कामता प्रसाद शुक्ला उक्त दोनों निवासी ग्राम चोरहटा तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र

........रेस्पाण्डेन्टगण

अपील विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 1427 अपील/15–16 दिनांक 22.09.2016 अन्तर्गत धारा 47(क)(5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम सन् 1899

29.9.16 103 29-9-16 29-9-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न है :–

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्टाम्प विधि एवं म.प्र. लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम 1975 नियम 7 तथा 15 (घ) की प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है।

(2) यह कि जो आदेश दिनांक 4.7.2016 को कलेक्टर आफ स्टाम्प रीवा द्वारा पारित किया गया है उसमें अनावेदक उपस्थिति लेख होने से तथा जबाब प्रस्तुत होने और प्रकरण का परीक्षण करने के बाद आदेश पारित करने से अपीलाण्ट को आदेश की सूचना दिनांक 4.7.2016 को मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील क. 1427 अपील/15–16 को बेरुम्याद मानकर निरस्त करने में कानूनी भूल की है जबकि उक्त आदेश पत्रिका में किसी भी अनावेदक के हस्ताक्षर नही बनें है तथा कौन आवेदक उपस्थित रहा का नाम भी उल्लेख नही है जिससे आदेश अधीनस्थ न्यायालय किसी भी सूरत में कायम रखने योग्य नही है।

(3) यह कि कलेक्टर आफ स्टाम्प रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 4.7.2016 के अंत में उल्लेख किया गया है कि अनावेदक केता सूचित हो यदि केता उक्त आदेश दिनांक को उपस्थित था तो सूचित हो का लेख करने की आवश्यकता नही थी जिससे उक्त लेख का तात्पर्य यही होगा कि आदेश की सूचना केता को दी जाय और उसे किसी भी तरह से आक्षेपित आदेश दिनांक 4.7.2016 को अपीलाण्ट को संसूचित नही किया गया । जैसा कि सूचना के संबंध में म.प्र. लिखतो का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम 1975 नियम 7 तथा 15 (घ) के अधीन विहीत है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई विचार न करते हुए व केता को सूचना देने के बारे में लेख को अनदेखी करते हुए विधि विरुद्ध अपील को बेरुम्याद मानकर अपील निरस्त करने में कानूनी भूल की है जो हर हाल में निरस्त किये जाने योग्य है।

29/9/16

→(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 7201–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–10–2016	अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1427/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22–9–16 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47(क)(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 04–7–16 के विरूद्ध समयबाधित अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की थी। अपर आयुक्त ने इस आधार पर कि विकय पत्र में मुद्रांक शुल्क की कमी होने के कारण संबंधीजन को नोटिस देकर जबाव प्राप्त करने के बाद प्रकरण ~~क्र~~ का परीक्षण उपरांत आदेश पारित किया है। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को थी इसके बावजूदी भी समयावधि में अपील पेश नहीं की गई है। इसी आधार पर अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर खारिज किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधानिता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	